



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223171
CG-DL-E-18112020-223171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942

No. 500]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2/एनजीपीएल प्रशुल्क(2)/2012 (पी-910):—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम, 2016 को संशोधित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभण.

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) द्वितीय संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम, 2016 में विनियम 1 के उप विनियम (2) में “31 अक्टूबर, 2020 की तारीख” के स्थान पर “30 नवम्बर, 2020” प्रतिस्थापित की जाएगी।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन.-III/4/असा./368/2020-21]

पाद टिप्पणी: मूल विनियम फा.सं.पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 23.3.2018 और फा.सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल प्रशुल्क(2)/2012, दिनांक 19.6.2020 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2020

No. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff(2)/2012(P-910):—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulation, 2016 namely:—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Second Amendment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016, sub-regulation (2) of Regulation 1, the date “31st October, 2020” shall be substituted by “30th November, 2020”.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./368/2020-21]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* F.No. PNGRB/M(C)/48, dated 29th April, 2016, and subsequently, amended *vide* F.No. PNGRB/M(C)/48 dated 23.03.2018 and *vide* F.No. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (2)/2012 dated 19.06.2020.